




## कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 202/2022-सीएक्स-3, दिनांक 05 फरवरी, 2022 के क्रम एवं कुलपति महोदय के आदेशानुसार अवगत कराना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय आवासीय परिसर एवं समस्त महाविद्यालय/संस्थान कोरोना गाइडलान्स का पालन करते हुये दिनांक 07.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/कुलानुशासक/पुस्तकालयाध्यक्ष/मीडिया प्रभारी।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव।
5. प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लागिन पर तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
8. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
9. पत्रावली।

  
कुलसचिव

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवरथी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, रामरतन जौन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 5 फरवरी, 2022


विषय:-कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-100/2022-सीएक्स-3, दिनांक 16.01.2022, आदेश संख्या-132/2022-सीएक्स-3, दिनांक 22.01.2022 तथा आदेश संख्या-164/2022-सीएक्स-3, दिनांक 28.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.02.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षाएँ जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर कक्षा-9 से उच्चतर यथा- कक्षा-9, 10, 11 व 12 व समस्त डिग्री कालेज कोरोना गाइडलाइन्स यथा-मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अब दिनांक 07.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे।

भवदीय,




( अवनीश कुमार अवरथी )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 202 (1)/2022-सीएक्स-3 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



( अवनीश कुमार अवरथी )  
अपर मुख्य सचिव।